भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2481

04.08.2025 को उत्तर के लिए

जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण

2481. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार और प्रबंधन में हाल की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध शिकार और तस्करी से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) स्थानीय आबादी को शामिल करने के लिए कार्यान्वित समुदाय-आधारित संरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों और महत्वपूर्ण आवासों को बहाल करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) वन्यजीव निगरानी और संरक्षण के लिए उपयोग की जा रही तकनीक का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों की अधिसूचना का प्रावधान है। देश में संरक्षित क्षेत्रों (पीए) की संख्या 2014 में 745 से बढ़कर फरवरी 2025 में 1134 हो गई है। देश में पिछले दशक के दौरान संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत 18,324.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है।

सरकार ने देश में जैव विविधता के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण हेतु किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(i) दुर्लभ और लुप्तप्राय पशु प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) उनके संरक्षण के लिए 'बाघ परियोजना', 'हाथी परियोजना',शेर परियोजना', 'स्नो लेपर्ड परियोजना', डॉल्फिन परियोजना, 'चीता परियोजना', 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना' जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(iii) केंद्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के अंतर्गत वन्यजीवों के प्रबंधन और उनके पर्यावासों के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) केंद्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत 'गंभीर तौर पर लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए रिकवरी कार्यक्रम' का एक विशिष्ट घटक प्रदान किया गया है, ताकि अभिज्ञात की गई 24 गंभीर तौर पर लुप्तप्राय प्रजातियों पर केंद्रित संरक्षण कार्रवाई की जा सके।

(v) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए पारिस्थितिकी विकास संबंधी कार्यकलाप क्रियान्वित किए जाते हैं।

(vi) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचित किया जाता है।

(vii) संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(viii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर निवारक कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को सलाह और अलर्ट जारी किए जाते हैं।

(ix) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।

(x) जंगली जानवरों की निगरानी, अवैध घुसपैठ का पता लगाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सूचना भेजने हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन, वायरलेस, ई-सर्वेलेंस आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

(xi) मंत्रालय देश में वनरोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है; शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थान विकसित करने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई); और छात्रों को पौधों के महत्व को समझाने के लिए स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) शामिल है, जिसे मान्यता प्राप्त सार्वजनिक और निजी स्कूलों में लागू किया गया है।

(xii) मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि जैसे अवसरों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देता है और अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाता है। 05 जून, 2024 को शुरू किया गया 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान नागरिकों को अपनी माताओं और धरती माता के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(xiii) मंत्रालय ने भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग करके केंद्रीकृत, पारदर्शी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय वनरोपण निगरानी प्रणाली (एनएएमएस) भी शुरू की है। मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) वन संसाधन सर्वेक्षण और वनावरण में परिवर्तन का आकलन करता है।

***